कार्यालय,रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(द.प.क.),खातीपुरा रोड़, जयपुर-12
Office of the Principal Controller of Defene Accounts (SWC),
Khatipura Road, Jaipur-12
Fax No. 0141-2388463 Phone No. 0141-2388483
E-mail: pcdaswc.cgda@nic.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

संख्या 121/हि.क./हि.प्रो.पु.यो./2020-21 :: महत्वपूर्ण परिपत्र :: दिनांक 09.06.2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
सभी अनुभाग, स्थानीय
सभी अधीनस्थ कार्यालय

विषय : हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना : वर्ष 2020-21.

****

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दिनांक 16.02.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013-3-87-रा.भा.(क-2) के तहत केंद्र सरकार के क और ख क्षेत्र के कार्यालयों में सरकारी काम-काज में मूलतः हिन्दी में 20,000(बीस हजार) या इससे अधिक शब्द तथा ग क्षेत्र में 10,000(दस हजार) शब्द लिखने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना लागू है ।

2. केंद्र सरकार के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए इस योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से निम्नानुसार हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जा सकते हैं-

पहला पुरस्कार (कुल 2)	-	प्रत्येक को रुपये 5000(पाँच हजार) मात्र
दूसरा पुरस्कार (कुल 3)	-	प्रत्येक को रुपये 3000(तीन हजार) मात्र
तीसरा पुरस्कार (कुल 5)	-	प्रत्येक को रुपये 2000(दो हजार) मात्र

3. आपके अनुभाग/कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कार्यालय का काम हिन्दी में किया है और हिन्दी में 20,000(बीस हजार) या इससे अधिक शब्द लिखे हैं, उन सबके काम का विवरण संलग्न प्रफ़ोर्मे में उल्लेखित सभी कॉलम एवं प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से निम्नानुसार भरा जाये। विगत वर्षो में इस योजना के तहत प्राप्त आवेदन निम्न कमियों के रहते काफी संख्या में निरस्त हुए है, अत: संलग्न प्रफ़ोर्मे का प्रेषण करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें ।

- अनुभाग/कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कार्यालय का काम हिन्दी में किया है और हिन्दी में 20,000(बीस हजार) या इससे अधिक शब्द लिखे हैं, उन सबके काम का विवरण संलग्न प्रफ़ोर्मे में भरवाते हुए प्रफ़ोर्मे के समस्त कॉलम पूर्ण कर, भरे गए हस्ताक्षरित तथा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न प्रफ़ोर्मे को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के सैंपल (विभिन्न तरह के प्रमाणित दस्तावेजो) के साथ **दिनांक 28.05.2021** तक इस कार्यालय के हिन्दी कक्ष में भिजवाएं ताकि उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन पुरस्कार के साथ प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जा सके।
- संलग्न किए गए विभिन्न कार्यों के सैंपल आवश्यक रूप से इस प्रकार सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए कि प्रथम अवलोकन पर ही स्पष्ट हो जाए कि सैंपल किस अधिकारी/कर्मचारी का है।
- यदि आपके कार्यालय/अनुभाग से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस योजना में भाग नहीं ले रहा है, तो भाग न लेने के कारणों से अवगत कराते हुए शून्य रिपोर्ट भी भेजी जाए।
- इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि संलग्न प्रफ़ोर्मा पूर्ण रूप से भरा हो एवं कोई कॉलम खाली नही रहे। साथ ही **दिनांक 28.05.2021** के बाद इस कार्यालय को प्राप्त आवेदनो पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अत: डाक मे देरी के लिए संबंधित कार्यालय/अनुभाग स्वयं जिम्मेदार होगा।

4. उक्त के संबंध में समस्त स्थानीय अनुभागों एवं अधीनस्थ कार्यालय के प्रभारी अधिकारी अपने अधीन तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को एक रजिस्टर बनाने हेतु पाबंद करें जिसमे हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लिखे जाने वाले हिन्दी शब्दों का लेखा-जोखा रखेगा तथा पदस्थापित प्रभारी अधिकारी से निर्धारित समय अर्थात साप्ताहिक एवं प्रतिमाह हस्ताक्षरित करवाएगा। इस रजिस्टर का मुख्य कार्यालय द्वारा किए जाने वाले राजभाषा निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से अवलोकन किया जाएगा।

5. अपूर्ण प्रफ़ोर्मा,बिना साप्ताहिक, प्रतिमाह हस्ताक्षरित प्रफ़ोर्मे एवं निर्धारित तिथि दिनांक 28.05.2021 के बाद हिन्दी कक्ष में प्राप्त प्रफ़ोर्मे को तत्काल निरस्त समझा जाएगा तथा हिन्दी प्रोत्साहन योजना 2020-21 में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

समूह अधिकारी (रा.भा.) द्वारा अवलोकित ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(बी. एल. मीना)

Scanned with CamScanner